न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 124/2019 (52/2018)
GCMS NO. : 2018/00173

–:: प्रार्थीया ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. गजराई पत्नी सुगनाराम जाति–मेघवाल निवासी–अमरपुरा तहसील – जैतारण, जिला –पाली राजस्थान।		1. सुगनाराम पुत्र करमाराम 2. गीता पत्नी सुगनाराम जाति–मेघवाल निवासी–अमरपुरा तहसील – जैतारण, जिला –पाली राजस्थान। 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थित:. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक: 07/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा अमरपुरा पटवार हल्का राबडियावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में गैरसायल संख्या 1 सुगनाराम की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति खसरा नम्बर 72 रकबा 7–08 बीघा, खसरा नम्बर 73/2 रकबा 3–12 बीघा, खसरा नम्बर 166 रकबा 14–11 बीघा, खसरा नम्बर 187 रकबा 107–01 बीघा तथा सरहद मौजा लाम्बिया में खसरा नम्बर 1308 रकबा 11–12 बीघा कृषि भूमि गैरसायल संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी आई हुई है। जिसमें गैरसायल संख्या 1 का हक हिस्सा आता है तथा उसीनुसार काबिज काश्त है तथा इसी आशय का राजस्व रेकर्ड भी दर्ज है नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। गैरसायल संख्या 1 ने अपने जीवनकाल मे दो शादीया की जिसके पहली पत्नी सायला है तो अपने हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा अपनी संतानो के साथ उक्त आराजी मे काबिज काश्त है तथा दुसरी पत्नी गैरसायल संख्या दो गीतादेवी है। दोनों ही गैरसायल संख्या एक की विवाहिता पत्नीया है तथा गैरसायल संख्या एक की विवाहित पत्नी के नाम से समाज बिरादरी मे जानी व पहचानी जाती है तथा बतौर पत्नी के आज भी सहभागिनी के जीवन व्यतीत करती है तथा गैरसायल संख्या एक के सम्पूर्ण हर्जे खर्चे एवं स्वास्थ्य का ध्यान भी बतौर पत्नी के रखती चली आ रही है साथ ही सायला की संतान भी गैरसायल संख्या एक का सम्पूर्ण ध्यान रखते है। गैरसायल संख्या एक वृद्ध व्यक्ति एवं बिमारीग्रस्त एवं शराबी प्रकृति का व्यक्ति है तथा उसकी नशे की आदत का फायदा उठाते हुए कोई भी व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उसे बहकावट एवं सिखावट करते रहते है। बिना किसी प्रयोजन एवं घरेलु घर खर्च के ही सम्पत्ति को खूर्द बुर्द करने की तैयारी कर लेता है जब सायला एवं उसके सम्पूर्ण परिवार की आय का एवं अपने परिवार का भरण पोषण का एक मात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि है इसके अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है तथा दोनो पत्नीयो तथा संतान को लेकर आए दिन किसी न किसी तरीके से विवाद होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप गैरसायल संख्या एक ने दिनांक 10/08/2015 को पारिवारिक बंटवाडा मय पारिवारिक सटलमेंट का एकलिखित दस्तावेज स्टाम्प रूपये 100 पर आपसी सहमति से लिखित इकरार कर दिया जिसमें गैरसायल संख्या एक सुगनाराम ने इस पारिवारिक सेटलमेंट मय बंटवाडे अपनी दोनो पत्नीयो को अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति के हक हिस्से में वर्णित सम्पूर्ण खसरान् भूमि में से 1/2, 1/2 हक हिस्सा अलग-अलग दोनो को देकर सम्पूर्ण मालिकाना हक अधिकार सायला को अपनी सम्पत्ति पर 1/2 हक हिस्सा सुपूर्द कर उपयोग/उपभोग तथा सम्पूर्ण अधिकार सुपूर्द कर दिये तथा इस पारिवारिक सटलमेन्ट में सायला सहित गैरसायल संख्या एक व दो दोनो की सहमति जाहिर की गई है। इस पारिवारिक सटलमेंट/फेमिली सेटलमेंट इकरार के अनुसार सायला अपने पति सुगनाराम की वर्णित खसरान भूमि में 1/2 हक हिस्से को विधिक एवं कानूनी प्राप्त करने की अधिकारी है तथा उक्त सम्पत्ति मे सायला के साम्पैतिक अधिकार निहित है तथा इसीनुसार सायला मौके पर काबिज काश्त होने एवं जरिये पारिवारिक सेटलमेन्ट/फेमिली सेटलमेन्ट के अपने हक हिस्से की अधिकारी होने से अपने नाम की हक अधिकारो एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् घोषणा का विरुद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। पारिवारिक सेटलमेन्ट/फेमिली सेटलमेन्ट जरिये सम्पत्ति मे सायला का हक हिस्से एवं उससे सम्बन्धित सभी हक अधिकार घोषित एवं साबित है लेकिन गैरसायल संख्या एक वृद्ध एवं अक्सर बिमार रहता है तथा सायला गैरसायल संख्या एक के जीवित काल मे उक्त सम्पत्ति का जरिये फेमिली सेटलमेन्ट के निस्तारण करवाना चाहती है जिससे की किसी प्रकार का विवाद शेष न रहे। समय रहते अगर सायला को अपने अधिकारों की घोषणा हो जाती है तो वादीगण को होने वाली अनेको प्रकार की परेशानीयो एवं विवदो से निजात मिल जायेगी नही तो अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी तथा सायला को अपने हक अधिकारो से महरूम होना पडेगा। ऐसी विषम परिस्थितियो मे सायला के पास अन्य कोई अनुतोष शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। सायला दिनांक 6/2/18 को उक्त पारिवारिक सेटलमेन्ट/फैमिली सेटलमेन्ट के जरिये अपने नाम का राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने के लिये पटवारी एवं तहसीलदार जैतारण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया तो पटवारी एवं तहसीलदार जैतारण ने कथन किया कि पारिवारिक सेटलमेन्ट के जरिये कानूनी कार्यवाही कर न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश कर अपने नाम की घोषणा करवा लो तथा कार्यवाही करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायला द्वारा उक्त पारिवारिक सेटलमेन्ट के जरिये अपने नाम की खातेदारी अधिकारो एवं राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने की घोषणा का वाद व यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया मामला सायला के पक्ष मे प्रमाणित है तथा मौके पर सायला का उसके हक हिस्से की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग/उपभोग से सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायला के पक्ष मे है यदि गैरसायल संख्या एक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम के आधार पर उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देता है तथा सायला को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देता है तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायला अपने साम्पैतिक हक अधिकारों से हमेशा–हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यो को रोके जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायला अपने हक अधिकारों के तहत अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करे काश्त मुतालिक कार्य करे या करावे या उसका मामर्जी उपयोग/उपभोग लेवे तो उसमे गैरसायल संख्या एक व दो किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, अडचन पैदा नही करे न ही अपने नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी से करावे तथा प्रार्थनापत्र मे वर्णित खसरान् भूमि को गैरसायल संख्या एक किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे न ही रहन, बेचान, बक्सीस, अन्य हस्तान्तरण आदि करे वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को वाद के निर्णय तक यथावत् रखे जाने के सम्बन्ध मे गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय सायला के पक्ष मे जारी फरमावें।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायलन की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे दर्ज कथनो का जवाब है कि इस पद मे अंकित कृषि भूमि सरहद मौजा अमरपुरा पटवार हल्का राबडियावास मे सुगनाराम की पैतृक पुश्तैनी खसरा नम्बर 72, 73/2, 166, 187 लाम्बिया मे स्थित खसरा नम्बर 1308 की भूमि आई हुई होने के कथन गलत है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कथनो का जबाब है कि सायला गैरसायल संख्या 1 की विवाहित पत्नी थी जो जरिये लिखित दिनांक 08/08/1984 के तलाक होकर अपने वैवाहिक सम्बन्ध त्यागते हुए अपने पिता लाबुराम के पास ग्राम राबडियावास ही रह रही है। प्रार्थनापत्र में [illegible] को उसके पति के जीवनकाल में धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] तहत कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है तथा प्रार्थनापत्र [illegible] भूमि [illegible] माफिक हिस्से अनुसार गैरसायल संख्या 1 ही एक मात्र खाते[illegible] कब्जा काश्त है। जिसमे सायला

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

व उनके पुत्रो का कोई हक व अधिकार नही बनता है। सायला द्वारा गैरसायल संख्या 1 की देखरेख स्वास्थ्य आदि करने के कथन गलत व झूठे अंकित किये है। जबकि गैरसायल संख्या 1 के स्वास्थ्य, देखरेख आदि उसकी विवाहित पत्नी गीता ही करती आ रही है। इस पद में अंकित अन्य कथनो का प्रार्थनापत्र से कोई रिलीवेन्सी नही होने से जबाब देने की आवश्यकता नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे दर्ज कथन गलत, झूठे, मनमाने अंकित कि जबकि गैरसायल संख्या 1 के लिये शराबी, नशे की लत होना, बहकावट सिखावट में आने के कारण सम्पत्ति को बिना घरेलू खर्च के खूर्द बुर्द की तैयारी आदि के कथन भी मात्र प्रार्थनापत्र करने की गरज से गलत, झूठे अंकित किये है। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि मे सायला को अपने पति के जीवनकाल मे कोई अधिकार नही मिलते है। सायला द्वारा यह कथन करना कि उक्त भूमि के अलावा भरण पोषण हेतू आय का कोई स्त्रोत नही होने के कथन भी गलत है, सायला पिछले 37 सालो से अधिक समय से अपने पिता लाबूराम के पास ग्राम राबडियावास अपने बच्चो के साथ रहती है, सायला द्वारा उक्त आराजी को लेकर झगडे टन्टे करने के कथन भी गलत है जबकि सायला स्वयं के दोनो पुत्र माणक व गबरू वयस्क है तथा पुत्र अम्बुजा सिमेन्ट लिमिटेड मे नौकरी करता है। जिसकी मासिक आय रूपये 20 हजार है। सायला द्वारा गैरसायल संख्या 1 द्वारा दिनांक 10/08/2015 को पारिवारिक बंटवाडा मय पारिवारिक सेटलमेन्ट का स्टाम्प पर सहमति से लिखित इकरार एक लिखित दस्तावेज रूपये 100/- के होकर प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि बाबत् सायला का 1/2 व गैरसायल संख्या 2 का 1/2 हिस्सा होकर उनको माफिक हिस्सेनुसार सूपूर्द कर अधिकार होकर उपयोग/उपभोग व कब्जा काश्त करने के कथन गलत, झूठे अंकित किये है, प्रथम तो गैरसायल संख्या 1 ने पारिवारिक बंटवाडा मे पारिवारिक सेटलमेन्ट का कोई लिखित इकरार किया ही नही तथा न ही ऐसे दस्तावेज से बाध्य नही है, क्योकि ऐसा दस्तावेज बैचान, हस्तान्तरण व अन्तरण व बक्सीस की परिभाषा मे आते है इसलिए कानूनन इनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जिसके तहत सायला को एक मात्र उपचार व क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में चाराजोही करने का अधिकार है तथा सायला ऐसे दस्तावेज से धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, न ही धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो मे ऐसे दस्तावेज लागू नही होनें तथा न ही ऐसे दस्तावेज से उक्त आराजी मे सायला को उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत कोई अधिकार अर्जित होते है इसलिए सायला गैरसायलान् के विरुद्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई 1/2 हक हिस्से अधिकार खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि सायला प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि मे सायला [illegible] से गैरसायल संख्या 1 के जीवनकाल मे हक अधिकार घोषित कर[illegible] अधिकारी नहीं है, न ही ऐसे दस्तावेज से कोई अधिकार [illegible] होते है [illegible]सायल संख्या 1 को कोई बीमारी नही होकर शारीरिक रूप से [illegible] करने में सक्षम है। सायला को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उक्त भूमि में कानूनन कोई हक अधिकार नही बनते है तो फैमिली सेटलमेन्ट के जरिये सहमति से निस्तारण होने के कथन भी गलत है सायला उक्त भूमि मे कोई खातेदारी अधिकार नहीं है, न ही मिलते है न ही उक्त भू के किसी भू–भाग पर कब्जा काश्त है तो उसे अपूरणीय क्षति होने का सवाल ही पैदा नही होता है गैरसायल संख्या 1 बीमार नही होकर अपने निर्णय लेने मे पूर्णतया सक्षम है गैरसायल संख्या 1 के लिये किसी के बहावट, सिखावट आकर सम्पत्ति के बेचान, हस्तान्तरण व असीम हानि होने के कथन भी पूर्णतया गलत है व गैरसायल संख्या 1 अपनी आराजी को अपनी इच्छानुसार उपयोग/उपभोग व काम मे लेने का पूर्ण कानूनी अधिकार है उपरोक्त कारणो से सायला गैरसायलान् के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। सायला गैरसायल संख्या 1 को करीब 37 सालो से अधिक समय से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने की नियत से यह राजस्व व दीवानी मुकदमे दर्ज करवा रही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि प्रथम तो सायला गैरसायल संख्या 1 के जीवनकाल मे अपने प्रस्तुत दस्तावेज से कोई हक अर्जित नही होते है सायला ने दिनांक 06/02/2018 को उक्त दस्तावेज से रेवेन्यू एजेन्सी से अपना नाम दर्ज करवाने में उपस्थित नहीं हुई है न ही ऐसे दस्तावेज से बेचान, बक्सीस अन्तरण, हस्तान्तरण की तारीफ मे आते है जिनका कानूनन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है इसलिए इन दस्तावेज के जरिये उक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि की सायला न तो खातेदार काश्तकार है न ही मौके पर कब्जा कर है तथा सायला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से तथा गैरसायल संख्या 1 के जीवनकाल मे धारा 40 आर टी एक्ट के तहत भी सायला को कोई हक व अधिकार नही मिलते है तथा सायला द्वारा जिस तथाकथित दस्तावेज को आधार मानकर प्रार्थनापत्र पेश किया है जो एक हस्तान्तरण, बैचान, बक्सीस की तारीफ मे आता है जिसका कानूनन रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है इसके विपरीत प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि मे गैरसायल संख्या 1 की स्वयं की खातेदारी की व कब्जे काश्त की भूमि है इसलिए सायला की बजाय गैरसायल संख्या 1 के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन है जब टी आई के दोनो घटक सायला के पक्ष मे नही है तो सायला को किसी प्रकार से कोई असीम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है इस कारण से सायला गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व जमाबन्दी पेश कर निवेदन है कि सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी [illegible] सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष में [illegible]वत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. C.C.C. 2003(3) Page No 32[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2. RRD 1977 NUC Page no 111

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया गजराई ने वादग्रस्त आराजी को अपने पति की पैतृक पुश्तैनी आराजी बताते हुए अपने पति (प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01) सुगनाराम पुत्र करमाराम व प्रार्थना–पत्र में कथनानुसार द्वितीय पत्नी गीता के विरूद्ध एक वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थीया ने हस्तगत प्रार्थना–पत्र में एक कथित लिखित पारिवारिक सेटलमेंट के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा होने का कथन किया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह कथन किये है कि सायला को अपने पति के जीवनकाल में धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई हक–अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थीगण ने यह भी कथन किये कि सायला द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सेटलमेंट के अनुरूप धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना, उभयपक्षकारान द्वारा प्रकट कथनों, तर्कों एवं भू–अभिलेखीय दस्तावेज के अवलोकन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया यह साबित करने में बिफल रही है कि किस विधिक प्रावधान के तहत प्रार्थीया राजस्व न्यायालय से अपने पति के जीवित रहते उसकी पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में अपना हक–अधिकार निहित रखती है जबकि प्रार्थीया द्वारा अपनी संतानों को मूल वाद में तथा हस्तगत प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत तथाकथित अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज ''पारिवारिक बंटवाडा, पारिवारिक सेटलमेंट मय पावर ऑफ अर्टोनी'' के निष्पादन का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध साबित हुआ है। प्रार्थीया द्वारा बादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जा होने के कथन किये है परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। साथ ही अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थीया के उक्त कथन को खण्डन भी किया है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीया के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध स्थापित हुए है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा इस बिन्दू [illegible]ित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीया [illegible] साबित करने में विफल रही है कि हस्तगत प्रकरण में उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि–संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादीया अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीया के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण, जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 07/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण, जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:42 IST
Reason: SelfAttested